राज्य सभा

विदाई उद्‌गार- 251वां सत्र

(23 मार्च, 2020)

श्री सभापति: सभा के माननीय नेता, श्री थावर चंद गहलोत जी, विपक्ष के माननीय नेता, श्री गुलाम नबी आज़ादजी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रहलाद जोशीजी, सभा में विभिन्न दलों और समूहों के माननीय नेतागण, और माननीय सदस्यगण!

आप सभी उन कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से यह बजट सत्र अपने निर्धारित समय, जो कि अगले महीने की 3 तारीख है, से पूर्व अनियत तिथि के लिए स्थगित किया जा रहा है। हम 31 जनवरी से 3 अप्रैल के बीच कुल 31 बैठकों की तुलना में 23 बैठकों के उपरांत ही इसका समापन करने के लिए बाध्य हैं। बजट सत्र का मुख्य उद्‌देश्य सरकार द्‌वारा प्रस्तुत और संसद द्‌वारा अनुमोदित किए गए बजट प्रस्तावों के माध्यम से, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक वृद्‌धि और विकास हेतु सही क्रियाविधि तैयार करना होता है।

विडम्बना यह है कि चीन से उद्‌भवित होने वाले कोरोना वायरस का वैश्विक प्रकोप हमारे देश सहित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा। विश्व के सामने सारी दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य और सम्पन्नता दोनों को ही कोरोना वायरस के विस्फोट की वजह से होने वाली क्षति को कम से कम करने की चुनौती है। हमारा देश इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों में एक उत्साही भागीदार है। मुझे पूरी आशा है कि यह लड़ाई संगठित होकर जीती जाएगी।

माननीय सदस्यों की जानकारी और अभिलेख के लिए, इस महती सभा ने इन 23 बैठकों के दौरान 118 घंटे और 52 मिनट के कुल निर्धारित समय की तुलना में कुल 90 घंटे और 30 मिनट कार्य किया। इसका अर्थ यह है कि इस बज़ट सत्र के दोनों भागों को मिलाकर सभा का कार्य-निष्पादन केवल 76.13 प्रतिशत है। हालांकि 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच इस सत्र के पहले भाग की अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन 97 प्रतिशत रहा है, वहीं 2 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे भाग का कार्य-निष्पादन 64 प्रतिशत से अधिक रहा है। सभा ने इस सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के दौरान 9.50 प्रतिशत के निम्न कार्य-निष्पादन की तुलना में तीसरे सप्ताह के दौरान 106 प्रतिशत के उच्च कार्य-निष्पादन की दर से कार्य किया। इस सत्र के दौरान व्यवधानों के कारण सभा का 38 घंटे 23 मिनट कुल कार्यात्मक समय बर्बाद हुआ। इसमें इस सत्र के दूसरे भाग के दौरान इस प्रकार बर्बाद हुए 32 घंटे 51 मिनट भी शामिल हैं। इस नुकसान की तुलना में, सभा ने 9 दिनों तक अपने निर्धारित समय से ज्यादा कुल 9 घंटे 59 मिनट तक बैठक कीं।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और सामान्य बज़ट पर भावपूर्ण और गुणवत्तापरक वाद-विवाद तथा दिल्ली में हुई हिंसा पर चार घंटे से अधिक समय की अल्पकालिक चर्चा इस सत्र की मुख्य विशेषता रही हैं। माननीय सदस्यगण, सरकारी विधेयकों पर 14 घंटे और 56 मिनट चर्चा की गयी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर अन्य 5 घंटे और 45 मिनट चर्चा की गयी। तदनुसार, सभा के कुल कार्यात्मक समय के 22 प्रतिशत समय के दौरान विधायी कार्य किया गया। इस महती सभा ने आज के छह विधेयकों सहित इस सत्र के दौरान बारह सरकारी विधेयक पारित किए। गैर-सरकारी सदस्यों के सत्रह विधेयक पुरःस्थापित किए गए हैं जिनमें से दो पर चर्चा की गई है। गैर-सरकारी सदस्य के एक संकल्प पर भी चर्चा की गई है। तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों अर्थात्, रेल; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा विधि और न्याय मंत्रालयों के कार्यकरण पर 11 घंटे और 24 मिनट चर्चा हुई जो कि सभा के कुल कार्यात्मक समय का 13.20 प्रतिशत है।

सदस्यों ने 170 शून्य काल और 79 विशेष उल्लेखों के माध्यम से अविलंबनीय लोक महत्व के कुल 249 मुद्दे उठाए। 11 दिनों में कुल 79 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इन तारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से उत्तर प्राप्त करने में नौ घंटे और तीन मिनट का समय लगा, जो कुल समय का 10.50 प्रतिशत है। सूचीबद्ध किए गए कुल 165 तारांकित प्रश्नों में से लगभग 48 प्रतिशत के मौखिक उत्तर दिये गये। मध्यावकाश अवधि के दौरान, राज्य सभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभाग-संबंधित आठ संसदीय स्थायी समितियों ने मेरी इच्छानुसार 20 मंत्रालयों की अनुदान मांगों के संबंध में प्रतिवेदनों को निर्धारित समय से पहले से ही अंतिम रूप देकर एक सराहनीय कार्य किया है। इस महती सभा के सभापति के रूप में, मेरे लिए माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना आवश्यक है कि आपको सभा में किसी भी मुद्दे पर चर्चा और बहस करने का आपका एक निश्चित अधिकार है लेकिन आपको कार्यवाही बाधित करने का अधिकार नहीं है जैसा कि कुछ लोगों ने दावा किया है। मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। चर्चा और बहस के अधिकार के पूर्ण और उचित उपयोग के फलस्वरूप शत-प्रतिशत कार्य-निष्पादन हासिल होता, जबकि इस महत्वपूर्ण बज़ट सत्र में 76 प्रतिशत कार्य-निष्पादन हुआ। मुझे उम्मीद है कि हम इसके बाद सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम उच्च सभा, और वरिष्ठ सदस्यों की सभा हैं। इसलिए, हमें मानक निर्धारित करने, शालीनता और मर्यादा बनाए रखने और रचनात्मक तरीके से समय का उपयोग करने की आवश्यकता भी है। सदस्यों को आगामी सत्रों के लिए मेरी यही सलाह है। निर्धारित समय से पहले सभा के स्थगित होने के साथ, मैं सभी सदस्यों से कोरोना वायरस के विरुद्ध हमारे संघर्ष में अपने-अपने संबंधित राज्यों में लोगों के साथ मिलकर काम करने की अपेक्षा रखता हूँ। इस स्थगन को स्वीकार करने के पीछे मुख्य विचार यह है कि माननीय सदस्य अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाएं और क्षेत्रों का गहन दौरा किए बिना लोगों की जरूरत के अनुसार परामर्श और मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध रह कर समय दें क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें किसी न किसी तरह आपसी

दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि सम्पर्क में आने से यह विषाणु फैलता है। अतः, आपको अवकाश की आवश्यकता है। अंत में, मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में उपसभापति, श्री हरिवंशजी और उपसभाध्यक्षों के पैनल द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करता हूँ। मैं इस सत्रावधि के दौरान कड़ी मेहनत के लिए महासचिव और प्रतिबद्ध अधिकारियों व कर्मचारियों की उनकी टीम और सुरक्षाकर्मियों के प्रति अपनी सराहना को भी अभिलिखित करता हूँ। मैं सभा की कार्यवाही में निरंतर रुचि लेने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों की सराहना करता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें वापस जाने की जल्दी थी और यही कारण है कि वे पहले चले गए। मैं पुनः चिकित्सकों, नर्सों, तकनीशियनों, मीडिया, पुलिस, रक्षा, अर्धसैनिक बलों और उन अन्य सभी व्यक्तियों की प्रशंसा करता हूँ जो कोविड-19 के विरुद्ध इस संघर्ष में सबसे आगे हैं। माननीय सदस्यगण, इस पर ताली बजाकर, सभी संबंधित व्यक्तियों के प्रति अपनी भावनाओं और सराहना को व्यक्त कर सकते हैं।

आप सभी को धन्यवाद।

(राष्ट्रीय गीत, वन्देमातरम् की धुन बजाई गई।)

श्री सभापति : सभा अनियत तिथि के लिए स्थगित की जाती है।